

यदि अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो यह एफिडेविट

अभ्यर्थी द्वारा एडमिशन लेते समय संस्था में जमा किया जाएगा

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाण - पत्र

समक्ष - श्रीमान प्राचार्य महोदय,

राजकीय पालीटेक्निक संस्थान तालबेहट (ललितपुर)।

शपथ पत्र मिनजानिव श्री/श्रीमती/सुश्रीपुत्र/पुत्री..... निवासी
..... ने राजकीय पालीटेक्निक तालबेहट में
..... ब्रांच में प्रवेश लिया है।

शपथकर्ता शपथ लेता / लेती हैं कि

1. शपथकर्ता ने रैगिंग निषेध के विधि / उच्चतम न्यायलय तथा केन्द्रीय / राज्य सरकार के इससे सम्बंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। शपथकर्ता ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बंधित निर्देशों के विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली हैं तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. शपथकर्ता ने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया हैं समझ लिया हैं और शपथकर्ता यह जानता / जानती हैं कि रैगिंग के क्या मायने है।
3. शपथकर्ता ने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया हैं अगर शपथकर्ता किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हैं या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हैं तो प्रशासन शपथकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. शपथकर्ता निश्चय पूर्वक यह प्रयत्न करेगा/करेगी कि
क) शपथकर्ता किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेगा / लेगी।
ख) शपथकर्ता किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेगा/लेगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. शपथकर्ता किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लेगा / लेगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करेगा/करेगी।
6. शपथकर्ता यह घोषणा करता / करती हैं कि अगर शपथकर्ता रैगिंग के मामले में अपराधी पाया / पायी गया/गयी तो शपथकर्ता को विनियम 9.1 के अनुसार दण्डित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में शपथकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
7. शपथकर्ता यह घोषणा करता / करती हैं कि शपथकर्ता के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया हैं और ऐसा पाया जाता हैं तो शपथकर्ता का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

दिन..... महीना..... वर्ष.....

ह० शपथकर्ता

सत्यापन -

मैं / हम शपथकर्ता शपथपत्र की धारा 1 लगायत 7 को अपनी निजी ज्ञान व विश्वास से तसदीक करता / करते हैं कि जो कि सब सच व सही है। सत्यापन आज दिनांक को तहसील में किया गया है।

ह० शपथकर्ता

यदि अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो यह एफिडेविट अभ्यर्थी के माता-पिता द्वारा एडमिशन लेते समय संस्था में जमा किया जाएगा

माता - पिता / अभिभावक का शपथ प्रमाण - पत्र

समक्ष - श्रीमान प्राचार्य महोदय,

राजकीय पालीटेक्निक संस्थान तालबेहट (ललितपुर)।

शपथ पत्र मिनजानिव श्री/श्रीमती/सुश्री निवासी
.....

शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री (पुत्र/पुत्री का नाम व पता) ने राजकीय पालीटेक्निक तालबेहट में ब्रांच में प्रवेश लिया है।

शपथकर्ता शपथ लेता / लेती हैं कि

1. शपथकर्ता ने रैगिंग निषेध से सम्बंधित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बंधित विनियम-2009 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. शपथकर्ता ने मुख्य रूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है और समझ लिया है और शपथकर्ता यह जानता / जानती हैं कि रैगिंग के क्या मायने हैं।
3. शपथकर्ता ने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है और शपथकर्ता को पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अगर शपथकर्ता का पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. शपथकर्ता शपथपूर्वक निश्चय करता है कि -
क) शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेंगे।
ख) शपथकर्ता अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने देगा/देगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. शपथकर्ता यह घोषणा करता / करती है कि अगर शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/गयी तो शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री को विनियम 9.1 के अनुसार दण्डित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. शपथकर्ता यह घोषणा करता / करती है कि शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री को ऐसे मामले में दोषी पाया जाता है, तो शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

दिन..... महीना..... वर्ष.....

ह० शपथकर्ता

सत्यापन -

मैं / हम शपथकर्ता शपथपत्र की धारा 1 लगायत 6 को अपनी निजी ज्ञान व विश्वास से तसदीक करता / करते है कि जो कि सब सच व सही है। सत्यापन आज दिनांक को तहसील में किया गया है।

ह० शपथकर्ता

यदि अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो यह एफिडेविट

अभ्यर्थी द्वारा एडमिशन लेते समय संस्था में जमा किया जाएगा

समक्ष - श्रीमान प्राचार्य महोदय,

राजकीय पालीटेक्निक संस्थान तालबेहट (ललितपुर) |

शपथ पत्र मिनजानिव पुत्र/पुत्री श्री निवासी
ग्राम / मु० राजकीय
पालीटेक्निक तालबेहट में ब्रांच वर्ष का छात्र / छात्रा हूँ
शपथकर्ता शपथ लेता / लेती हैं कि

1. शपथकर्ता संस्था में लगातार उपस्थित रहकर अध्ययन करेगा/करेगी तथा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कम से कम 75 % उपस्थिति के अधिनियम विषयक नियम का पालन करेगा/करेगी |
2. यदि शपथकर्ता 75 % उपस्थिति के अधिनियम का पालन नहीं करता / करती हैं, तो शपथकर्ता को सेमेस्टर परीक्षा से वंचित कर दिए जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी |
3. यदि शपथकर्ता 75 % उपस्थिति के अधिनियम का पालन नहीं करता / करती हैं, तो शपथकर्ता छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति पाने का दावा पेश नहीं करेगा/करेगी अर्थात् संस्था द्वारा शपथकर्ता का छात्रवृत्ति फार्म अग्रसारित न किया जाए यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो शपथकर्ता संस्था को धनराशि वापिस कर देगा/देगी |
4. यदि शपथकर्ता अध्ययन वर्ष के दौरान व अध्ययन जिसके लिये छात्रवृत्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जानी है / दी गई है छोड़ देता/देती हूँ | या दोनों सेमेस्टर की परीक्षा वार्षिक परीक्षा में सभी विषय में अनुपस्थित रहता/रहती हैं / या परीक्षा विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता / कराती हैं, किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता/करती हैं, तो छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की सुबिधा अनुमन्य नहीं होगी | यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो शपथकर्ता संस्था को धनराशि वापिस कर देगा / देगी |

ह० शपथकर्ता

सत्यापन -

मैं / हम शपथकर्ता शपथपत्र की धारा 1 लगायत 4 को अपनी निजी ज्ञान व विश्वास से तसदीक करता / करते हैं कि जो कि सब सच व सही है | सत्यापन आज दिनांक को तहसील में किया गया है |

ह० शपथकर्ता

यदि अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो यह एफिडेविट अभ्यर्थी के माता-पिता द्वारा एडमिशन लेते समय संस्था में जमा किया जाएगा

माता - पिता / अभिभावक का शपथ प्रमाण - पत्र

समक्ष - श्रीमान प्राचार्य महोदय,

राजकीय पालीटेक्निक संस्थान तालबेहट (ललितपुर) |

शपथ पत्र मिनजानिव श्री/श्रीमती/सुश्री निवासी

शपथकर्ता के पुत्र/पुत्री (पुत्र/पुत्री का नाम व पता)
ने राजकीय पालीटेक्निक तालबेहट में ब्रांच में प्रवेश लिया है |

शपथकर्ता शपथ लेता / लेती हैं कि

1. शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री संस्था में लगातार उपस्थित रहकर अध्ययन करेगा/करेगी तथा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कम से कम 75 % उपस्थिति के अधिनियम विषयक नियम का पालन करेगा/करेगी |
2. यदि शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री 75 % उपस्थिति के अधिनियम का पालन नहीं करता / करती हैं, तो शपथकर्ता को सेमेस्टर परीक्षा से वंचित कर दिए जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी |
3. यदि शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री 75 % उपस्थिति के अधिनियम का पालन नहीं करता / करती हैं, तो शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति पाने का दावा पेश नहीं करेगा/करेगी अर्थात संस्था द्वारा शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री का छात्रवृत्ति फार्म अग्रसारित न किया जाए यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री संस्था को धनराशि वापिस कर देगा/देगी |
4. यदि शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री अध्ययन वर्ष के दौरान व अध्ययन जिसके लिये छात्रवृत्ति शुल्क की प्रतिपूर्ति दी जानी है / दी गई है छोड़ देता/देती हूँ | या दोनों सेमेस्टर की परीक्षा वार्षिक परीक्षा में सभी विषय में अनुपस्थित रहता/रहती हैं / या परीक्षा विषयों में उपस्थिति दर्ज कराता / कराती हैं, किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता/करती हैं, तो छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की सुबिधा अनुमन्य नहीं होगी | यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो शपथकर्ता का/की पुत्र/पुत्री संस्था को धनराशि वापिस कर देगा / देगी |

ह० शपथकर्ता

सत्यापन -

में / हम शपथकर्ता शपथपत्र की धारा 1 लगायत 4 को अपनी निजी ज्ञान व विश्वास से तसदीक करता / करते हैं कि जो कि सब सच व सही है | सत्यापन आज दिनांक को तहसील में किया गया है |

ह० शपथकर्ता